

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद, जिला बारां

क्रमांक :- 1543

दिनांक :- 06/12/2025 -

श्रीमान उपवन संरक्षक  
बारां

विषय :- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/7000/2014 ) गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अन्तिम स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ :- पी.सी.सी.एफ एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) का पत्र क्रमांक एफ. 14( )2014/बारां/रोड्स/एफसीए/प्रभुवसं/240 दिनांक 21.01.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर के पत्र दिनांक 17.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में दिनांक 23.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्यका निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 14,05,868 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न

1. बिन्दुवार शर्तों एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 18.08.23 की प्रति।



(बसन्त कुमार गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

86

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुखसं/ 7328

दिनांक 28-08-2023

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.08.2023 को 11:30 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में जिला बारां के शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में प्रगति के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री दीपक कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, बारां।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफ0सी0ए0 कार्या0हाजा
4. श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।
6. श्रीमती प्रियंका मीणा, अधिशाषी अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।
7. श्रीमती सांतवाना सिंह, सहायक अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 ने अवगत कराया गया कि बारां जिले के शाहबाद खण्ड से वन भूमि प्रत्यावर्तन के परिवेश - 1 पर कुल 32 प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। जिनमें 12 प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति, 11 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं 9 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। विधिवत स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की आवश्यकता नहीं होने एवं अन्य प्रकरणों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गये:-

### 1. प्रक्रियाधीन 9 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/9251/2015	Construction of Road from Kedarkui to Muhal	Road	4.3	10.01.2015	Pending at DFO/DCF
2	FP/RJ/ROAD/40677/2020	construction of widening and strengthening of bhanwargarh to nahargarh road(MDR-47) 0/475to 19/0	Road	3.893	19.09.2020	Pending at DFO/DCF
3	FP/RJ/ROAD/150784/2022	Paraniya to Chattarganj road	Road	3.73	21.09.2022	Pending at DFO/DCF
4	FP/RJ/ROAD/6958/2014	Road Work From Bichi to Rampur Upreti	Road	2.68	8.09.2014	Pending at DFO/DCF
5	FP/RJ/ROAD/34310/2018	Construction and widening of ramgarh mata ji parikrma road	Road	9.06	18.09.2019	Pending at DFO/DCF
6	FP/RJ/ROAD/34657/2018	Construction of road chorakhari to nayagoun via maheshpur	Road	1.872	30.08.2019	Pending at Nodal officer
7	FP/RJ/ROAD/30083/2017	Construction of shahbad to rajpur road	Road	4.0	29.12.2017	Pending at Nodal officer
8	FP/RJ/ROAD/34416/2018	construction of road from ganjan to sunwas	Road	3.425	30.08.2019	Pending at Nodal officer
9	FP/RJ/ROAD/34417/2018	Construction of road from Dikwani to gadar ishartori	Road	6.21	30.08.2019	Pending at Nodal officer

उपरोक्त के क्रम में उप वन संरक्षक बारां एवं उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 कार्या0 हाजा0 को निर्देशित किया गया कि प्राप्त प्रकरणों को एक सप्ताह में प्रोसेस कर आवश्यक कार्यवाही करें एवं यूजर ऐजेन्सी को निर्देशित किया गया कि पुराने प्रस्ताव जिनमें सडक निर्माण किये जाने की आवश्यकता नहीं हो (उन प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं हुआ है) उन्हें विद्वान किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावे।

2. वे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है:- 12 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु पूर्ण पालना अभी भी बकाया है।

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/6954/2014	Road work from Jalwara to Kishanpura	Road	2.96	08.09.2014	IP granted on 23.8.2016
2	FP/RJ/ROAD/6956/2014	Road work from Nehroopur to Jhiri	Road	3.2	19.09.2020	IP granted on 4.8.2016
3	FP/RJ/ROAD/6982/2014	Road work from Gordhanpura to Gatta	Road	2.22	7.09.2014	IP granted on 5.2.2016
4	FP/RJ/ROAD/6988/2014	Road work from Ramgarh kalapatta to Karbala Laxmipura	Road	2	8.09.2014	IP granted on 1.10.2018
5	FP/RJ/ROAD/6994/2014	Road from Khandela to halawni	Road	2.05	8.09.2014	IP granted on 04.8.2016
6	FP/RJ/ROAD/6996/2014	Road from Bhanwargarh to Ranwasi	Road	2.5	8.09.2014	IP granted on 27.12.18
7	FP/RJ/ROAD/6997/2014	Road from Kasbathana to Bmangaon	Road	5.2	8.09.2014	IP granted on 23.08.16
8	FP/RJ/ROAD/6999/2014	Road from Dkonja to Talawara	Road	7.5	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
9	FP/RJ/ROAD/7000/2014	Road from Gordhanpura to Kalimati	Road	2.8	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
10	FP/RJ/ROAD/7127/2014	Road from Mamlilaxmipura to Patpadi	Road	1.14	13.09.2014	IP granted on 19.01.21
11	FP/RJ/ROAD/8746/2014	Road from Rajpur Benta to Isatori	Road	2.97	18.12.2014	IP granted on 04.08.16

उक्त के संबंध में सर्व सहमति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- क0सं0 7 पर अंकित प्रस्ताव में सडक निर्माण आवयस्क नही होने के कारण पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त किये जाने के प्रस्ताव में स्मरण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय को जारी किया जावे।
- क0सं0 2 एवं 8 में वर्तमान दरों पर उप वन संरक्षक द्वारा डिमांड नोट जारी किये जा चुके है जिन्हे नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। यूजर ऐजेन्सी एक सप्ताह में राशि जमा करायी जाकर अनुपालना उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे। उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक शीघ्र पालना को अग्रेषित करेंगे।
- क0सं0 3 में उप वन संरक्षक बारां 2 दिवस में डिमांड नोट जारी करेंगे एवं यूजर ऐजेन्सी अग्रिम कार्यवाही पूर्ण किय जाना सुनिश्चित करेंगी।
- अन्य प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980का उलंघन हो चुका है उनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अतर्गत जारी निर्देशिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करेंगे एवं तदनुसार ही मांग पत्र जारी करेंगे उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।  
अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।  
बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 28-08-2023.

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुवसं/ 7329-22  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
- उप वन संरक्षक, बारां।
- श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद

क्र.सं. :- 379

दिनांक :- 04-06-2025

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
बारों।


विषय :- जनदप बारन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या  
FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे0 वन  
भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

संदर्भ :- पी.सी.सी.एफ. एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) का पत्र क्रमांक एफ.14(2014)/बारों रोडस/  
एफसीए/प्रमुवसं/240 दिनांक 21.01.2025

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 23.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक 07.7.2023 को अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 14,05,868 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारों द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने के कृपा करें।



(हरि प्रसाद मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 691

दिनांक : 12/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में।

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/7000/2014


प्रसंग :- श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.

14( )2018/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./1487-88 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
A. Compliance of EDS Dated 29.07.2024 :-		
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 55 दिनांक 18.04.2024 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अतः पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 678 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।
2	प्रस्ताव में दिनांक 04.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	वन विभाग द्वारा बार-बार आक्षेप लगाने एवं राज्य सरकार से NPV इत्यादि राशि देरी से प्राप्त होने के कारण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई तथा विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य किया गया है। अतः Violation नहीं किया गया है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	अखबारों की प्रति पुनः संलग्न है। (प्रति संलग्न)
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नहीं है।	श्रीमान् के स्तर से किया जाना है।
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नहीं है।	पूर्व में भी संलग्न कर दिया गया है। अब पुनः डिजीटल मानचित्र संलग्न किया जा रहा है।

  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 678

दिनांक : 10/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।


विषय - जनदप वारन मे आर0आर0एस10एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या  
FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा रो कालीगाटी तक सडक निर्माण हेतु 2.98 है0 वन  
भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।  
प्रसंग - आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9320 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र  
से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट  
निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	शर्त संख्या	विवरण
1	शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2	शर्त संख्या 2	प्रयोज्य अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/- (2.98 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी। शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।

शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये- 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1865480/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक वारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 988705/- एवं राशि रु. 2283348 कुल राशि रु. 3272053/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो वृद्धि हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 वायूला, जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।

	की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

  
 (हरि प्रसाद मीना)  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 5851

दिनांक 24-5-2024

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय :- गोस्धनपुरा से कालीमाटी सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।  
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद के पत्र क्रमांक  
55 दिनांक 18.04.2024 के कम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस संदर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है० गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमावन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 3,84,867/- (2.98 है० Rs. 1,29,150 प्रति है०) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है० 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कापोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है०) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है०) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या

	5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1865480/- कम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रु. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 988705/- एवं राशि रु. 2283348 कुल राशि रु. 3272053/- कम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आपय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बड़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्दिष्टांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आपय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (छळज) सेंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, वनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।
शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं

2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।


  
(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक 24-5-2024

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/5852  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-  
1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रू. नोडल अधिकारी राज 0 जयपुर।  
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवादा।

  
(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां



# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 55

दिनांक : 18/4/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरघनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।  
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9320 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/- (2.98 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।

शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है०) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है०) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.654 लाख (2.98 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.98 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1865480/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.०/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 988705/- एवं राशि रु. 2283348 कुल राशि रु. 3272053/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर०सी०सी० पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।

	की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

  
 (हरि प्रसाद मीना)  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां


ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यनिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

## अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.() / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 / 536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां


ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

## अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1865480/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/- एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा। प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला


द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार

103.40 है) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।  
तहसील अन्ता ग्राम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि  
व्यक्ति कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई  
अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर  
एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (नरेंद्र शर्मा (क.र.))


2 नाका प्रभारी  06/09/17


3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बारा

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  420/11/094  
(19/11)

2 कानूनगो   
राज्य कानूनगो  
6-9-17

  
(अशोक सहा)  
अधिसापी अभियन्ता  
ए.नि.वि. सण्ड शाहाबाद

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बारा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला  
 न्यायदर बाराँ द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार  
 गैर वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्ता गाम गोरख की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि  
 मानवीय कार्य हेतु आयुक्त ने यह वनभूमि से लब्ध है इसमें किसी प्रकार का कोई  
 औद्योगिक एवं व्यापिक प्रकारण विचारणीय नहीं है यह सख्त गैर वनभूमि सूचक  
 प्लानेट्री से इस कार्यालय द्वारा कीर्ते पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	उपरोक्त	ग्राम	सखस नं.	रकबा (हेक्टर)
1		गोरख	1175	19.76
		सोप	1173	19.15
			2 कित्ता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1. वनसंरक्षक
2. नाम प्रगारी
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1. जिला पंचायती
2. जमानिया

राजीव कपूर  
 उप वन संरक्षक  
 बाराँ

राजीव कपूर  
 उप वन संरक्षक  
 बाराँ

*(Signature)*  
 अशोक सेनाद्वारा  
 अधिष्ठापी प्रभियोग  
 ज.नि.वि. सड़क शाखाद्वारा


कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला  
द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार  
गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि  
जादिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई  
अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर  
रजिस्ट्री से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।


क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24


हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (नारेन्द्र राव) (व.र.)

2 नाका प्रमारी  06/09/17


3 क्षेत्रीय वन अधिकारी


  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अन्ता जिला बाराँ

  
राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बाराँ


हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी


  
उपरिष्ठ भूमि का (लीजदार) के द्वारा जप

  
6/9/17

2 कानूनगो

  
6-9-17

  
(अशोक सनाढ्य)  
अधिसापी अभियान्त  
प.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

  
राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बाराँ

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

अंतिम चौसला आधार सम्बत :- 2073 - 2076 जमाबन्दी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 105  
खाता संख्या पुराना :- 100


का नाम :- ताखा  
बार हल्का :- मानपुरा  
ज.मि.ति. :- खजूरनाकला  
सील :- अन्ता  
ना :- बाराँ

अन्तकार का नाम:-

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00		
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
मकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIG

  
(अशोक समाह्वय)  
अधिभाषी अजियन्ता  
ज.मि.वि. खण्ड गहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोना)  
(प्रतिलिपि)


अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) स  
स्थायी

नाम :- सोरसन  
हल्का :- सोरसन  
पे.नि. :- सोरसन  
तल :- अन्ता  
बारा :- बाराँ

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 617  
खाता संख्या पुराना :- 1

कार का नाम :-

खता संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक
173	19.1500	गै.मु.जंगल	19.1500	0.00	
175	19.7600	गै.मु.जंगल	19.7600	0.00	
176	2.0000	गै.मु.जंगल	2.0000	0.00	
177	18.6600	गै.मु.बरडा	18.6600	0.00	
527	26.0000	गै.मु.जंगल	26.0000	0.00	
1528	32.8500	गै.मु.जंगल	32.8500	0.00	
1529	31.5000	गै.मु.जंगल	31.5000	0.00	
1530	17.6000	गै.मु.जंगल	17.6000	0.00	
1531	21.0000	गै.मु.जंगल	21.0000	0.00	
1532	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1533	15.0000	गै.मु.जंगल	15.0000	0.00	
1543	12.4900	गै.मु.जंगल	12.4900	0.00	
1544	11.4500	गै.मु.जंगल	11.4500	0.00	
1548	24.3600	गै.मु.जंगल	24.3600	0.00	
1552	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1781	15.2600	गै.मु.जंगल	15.2600	0.00	
1784	6.3100	गै.मु.जंगल	6.3100	0.00	
1785	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1786	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1787	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1788	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1789	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1790	13.3400	गै.मु.जंगल	13.3400	0.00	
1791	6.0000	गै.मु.जंगल	6.0000	0.00	
1795	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1796	11.1000	गै.मु.जंगल	11.1000	0.00	
1796/1968	0.9000	गै.मु.जंगल	0.9000	0.00	
1797	8.0000	गै.मु.जंगल	8.0000	0.00	
1798	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1799	7.5600	गै.मु.जंगल	7.5600	0.00	
2136/1524	20.0600	गै.मु.जंगल	20.0600	0.00	

  
(अशोक सनाद्वर)  
अधिकाधी अजियन्ता  
पे.नि. वि. खेत संयोजक

25	21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	
26	16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
76	16.0600	गै.मु.वरडा	16.0600	0.00
- 34			502.8500	

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
 उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
 जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

  
 (अशोक सनादय)  
 अधिशासी अभियंता  
 प्र.नि.वि. बण्ड शाहवादा

ICE No.: S/2  
 Manager, N  
 Malya Nag  
 as Open E-  
 lbe closed  
 if Descrip  
 POSITION  
 FREIGH  
 FRE PIVO  
 3 BOGIE  
 OR PU SI  
 DY WIT  
 URG  
 URG

# जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

का नाम :- विलेण्डी

वार हल्का :- मानपुरा

अभि.नि. :- खजूरनाकला

सील :- अन्ता

ना :- वारों

अंतिम चौसला आधार सम्बत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 78

खाता संख्या पुराना :- 78

अंशकार का नाम :-

1. उप वन संरक्षक द्वारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए


वसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.वरडा 5.8000	0.00			
115	9.5800	गै.मु.वरडा 9.5800	0.00			
116	7.7000	गै.मु.वरडा 7.7000	0.00			
138	10.8100	गै.मु.वरडा 10.8100	0.00			
149	3.6300	गै.मु.वरडा 3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.वरडा 13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.वरडा 5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.वरडा 6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC



(अशोक सनाड्य)  
अधिसाथी अभियन्ता  
प.नि.वि. छण्ड शाहवा...

**AGENCY COPY**  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000758
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	2354498/-

Amount in Words : Twenty-Three Lakh Fifty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856170000758 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

**BANK COPY**  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000758
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	2354498/-

Amount in Words : Twenty-Three Lakh Fifty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856170000758 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskampa@corpbank.co.in)

*Payment Done by*  
T.V No. 3746  
28/4/19

*(Signature)*  
महेश्वर शर्मा  
निदेशक (वि.सं-बारा)

# कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 20-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/6814-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपाटी) की गई है।  
उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14-15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बजड
			41	5.00	बजड
			42	6.52	बजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	5.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बजड
			133	10.81	बजड
			149	3.63	बजड
			8 किता	62.24	
			2	सौरसन	1175
1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा			
2 किता	38.91				
3	ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा	
		कुल योग	11 किता	103.40 हे०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)  
जिला कलक्टर  
बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 20-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवाये।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर  
बारां

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 536

दिनांक 22/1/24

निमित्त:-

अधिशापी अभियन्ता  
सा 0 नि 0 वि 0 खण्ड शाहवादा।

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क के निर्माण हेतु 2.98 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में  
Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /7000/2014 (2.98ha)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क के निर्माण हेतु 2.98 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को जारी की गई थी।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या-2 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	164100	489018	2.98	198000	590040	489018	101022

2. बिन्दु संख्या - 4 के (क) के क्रम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	626000	18654680	2.98	957780	2854185	1865480	988705

3. FCA उल्लंघन के क्रम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि

a. उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b. कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 2.98 हे०

c. NPV की राशि - 957780 प्रति हेक्टर

d. शास्ती की गणना 19.08.2020 से

$$2.98 \times 4 \times 957780 = 11416738 /-$$

e. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$11416738 \times (20/100) = 2283348$$

4. कुल राशि का विवरण

व्र. सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	590040	489018	101022
2	NPV की राशि	2854185	1865480	988705
3	दण्डात्मक राशि	2283348	0	2283348
	योग	5727573	2354498	3373075

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि  $101022 + 988705 + 2283348 = 33,73,075$  रु. केम्पा मद Online e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ( ) / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां

Reference No : 50612272

Government Of Rajasthan  
WAM Inner/outer sheet

Department Code : 65

Department Name : Public Works Department

Month/Year : Feb/2024

Detailed Wam bill of : Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18436)

Bill For Works Payment : WAM Payment

Office(s) : 18436

Division Name : PWD SHAHBAD

Reference No : 3902322

Wam Reference No : #1/1 of 907850

Date : 19/02/2024

Division Code : 120

Bill No : 50612272

TAN : JDHO01436B

Demand No : 44

DDO Code : 18436

SF : 0.00 NonPlan : 0.00

Object Head : 21

Budget Head : 3054-03-337-01-01/SPN

NA : 0.00

Contingency load :

To,  
The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 3373075 as per the claim contained in this bill  
Sign of Clerk

*[Signature]*  
खडीय पब्लिकार्

*[Signature]*  
अधिसायी अभियन्ता  
शारद गणितिक निर्माण विभाग  
शुभद - शाहबाद

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of order approved budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal) of  
*[Signature]*  
अधिसायी अभियन्ता  
शारद गणितिक निर्माण विभाग  
शुभद - शाहबाद  
WAMID : 9414286802  
आईओ डीओ कोड नं० - 18436  
Budget Head  
3054-03-337-01-01/SPN

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head
1	Rajasthan Campa B Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856170000368 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	3373075.00 3373075.00	9414286802	3902322

Gross Amount Rs. 3373075.00

B.T.Amount: Rs.

Net Amount:Rs. 3373075.00

Amount In Words : THIRTY THREE LAKH SEVENTY THREE THOUSAND AND SEVENTY FIVE, Only

Sign Of DDO with Seal or Digital E Sign of DDO

For Accountant General Office

*[Signature]*  
अधिसायी अभियन्ता  
शारद गणितिक निर्माण विभाग  
शुभद - शाहबाद  
Date : 19/02/2024  
आईओ डीओ कोड नं० - 18436

Admitted ₹  
Objected ₹

No:  
Pay ₹ : 3373075.00  
(In Words) : THIRTY THREE LAKH SEVENTY THREE THOUSAND AND SEVENTY FIVE ONLY  
B.T. Heads :  
Total :  
(In Cash) ₹ : 3373075.00  
(In Words) : THIRTY THREE LAKH SEVENTY THREE THOUSAND AND SEVENTY FIVE ONLY

Auditor

Supdt

Gaz.Officer

Auditor

AAO-III

Treasury/Sub Treasury Officer E Sign

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jalpur

FORM P.W.A. 40

No. & Date:

Ref No.: 1383, Dated: 19/02/2024

PayManager Ref. Id(s): 3902322

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD  
Dist. BARAN

Division Code: 18436

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Deposit amount for repatriation of forest Land of various road In PWD DN Shahabad

Vendor Name: Rajasthan Campa 8

Sanction/Autorization/BillNo: 6170000368 Dated: 19/02/2024

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856170000368

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 33,73,075  
(In Words): Rupees Thirty Three Lakh Seventy Three Thousand Seventy Five Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-03-337-01-01-21-V-P	3373075	WorkId: 182145

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3902322	3054-03-337-01-01-21-V-P		3373075	WorkId: 182145
	Payment Through Treasury	3373075		


Net Amount Payable In Figures: 33,73,075


Net Amount Payable In Words: Rupees Thirty Three Lakh Seventy Three Thousand Seventy Five Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

  
K. Meel  
अ. नि. वि. चण्ड शाहाबाद



For use in Divisional Office  
अधिशायी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
खण्ड - शाहाबाद  
आई. टी. कोड नं. - 18436

Courtesy: <https://wam.rajasthan.gov.in> (Printed on 2/19/2024 5:34:15 PM)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 1151

दिनांक : 19/02/2024


कार्यालय आदेश


इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa के विल प्राप्त संख्या 6170000368 दिनांक 19.02.2024 राशि रू. 3373075.00 को बजट मद 3054-03-337-01-01-21 VP के Deposit Amount for Reoatration of Forest Land of Various road in PWD Shahabad की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।  
(गोरखनपुरा से कालीमाटी)

क्रमांक : 1151

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।

  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद  
दिनांक : 19/02/2024

  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000368
MoEF/SG File No.	BB/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217Baran
Amount(In Rs)	3373075/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Seventy-Three Thousand and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856170000368 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000368
MoEF/SG File No.	BB/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(In Rs)	3373075/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Seventy-Three Thousand and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856170000368 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs 3373075/- only  
[Rs Thirty Three Lakh Seventy Three Thousand.  
Seventy Five only]

अधिसापी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
खण्ड - शाहाबाद  
आई० टी० कोड न०- 18436

Land to be allotted to Forest Department

21/9/14  
15/9

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare )	Remark
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	6	18
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मानोनी से मोहनपुर घोंग	1.50 2.60	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेडा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	भाघोपुरा से जंतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिया से तलावडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी ✓	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से मुआ ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से चरारा ✓	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा ✓	4.00	
12	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVII (RSAMB)	करबाधाना से बगनगवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किशानपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर मुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare.)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गाविया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	


(सुनिश्च माथुर)  
अधीक्षण अभियंता  
साठगिरीपिठ वृक्ष बौरा

# LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149 (Village: BILANDI) KHASRA NO.:1173,1175 (Village: SONBOP) KHASRA NO.: 388 (Village: THAKA)  
Tehsil : ANTA, Distt. BARAN



KHASRA DETAIL		
Khasra No.	Area in Hect.	VILLAGE
39	13.28	BILANDI
41	2.28	
42	2.28	
114	2.28	
115	2.28	
116	2.28	
138	17.75	
149	11.14	
149	2.28	
149	2.28	
1173	28.18	SONBOP
1175	28.72	
388	2.32	THAKA



For documents and all other  
downloaded from the website  
Director (Tender Inviting Authority)

**SUPPLY OF STORES ITEMS  
"THROUGH E-PROCUREMENT TENDERS"**

20/28 Date: 09.09.2020

th Western Railway, headquarter 4th  
Jaipur-302017 for and on behalf of  
nders on [www.treps.gov.in](http://www.treps.gov.in) site as  
14.25 hrs.

Sl	Qty	Unit	Due date
1. BRAKE STOCK	14605	Nos.	29.09.2020
2. BOTTOM	1659	Nos.	06.10.2020
3. E BEARER	14038	Nos.	06.10.2020
4. SHANK	1342	Nos.	06.10.2020

NDUM	Amended	Existing	Amended
Tender	Clause	Due Date	Due Date
2020/	Due	10.09.	29.09.
26	Date	2020	2020

may visit the website for Full  
tender cost etc. All tenderers are  
not them registered on above site and  
participating in other tenders such  
with, limited tenders, special limited  
visit [www.treps.gov.in](http://www.treps.gov.in), (3) For any  
ion centre, click our website

Dy. CMM/III

NWR Railways

**NR RAILWAY  
Pairs of Special Trains**

To	Day	Date
Ajmer # : 14:20 Hrs.	Daily	From 12.09.20
Jabalpur # : 08:35 Hrs.	Daily	From 13.09.20
Jaipur # : 12:40 Hrs.	Daily	From 12.09.20
Vaynraj # : 05:25 Hrs.	Daily	From 13.09.20
Lalgarh # : 05:45 Hrs.	Daily	From 12.09.20
Jaipur # : 15:55 Hrs.	Daily	From 15.09.20
Bikaner # : 06:50 Hrs.	Sunday, Friday	From 13.09.20
Shivnagar # : 03:15 Hrs.	Tuesday, Sunday	From 15.09.20
Saral Rohilla # : 05:20 Hrs.	Daily	From 12.09.20
Jodhpur # : 10:15 Hrs.	Daily	From 13.09.20
Mysore # : 15:30 Hrs.	Monday, Wednesday	From 14.09.20
Jaipur # : 06:15 Hrs.	Thursday, Saturday	From 17.09.20
Jaipur central # : 11:35 Hrs.	Daily	From 12.09.20
Jaipur # : 09:25 Hrs.	Daily	From 13.09.20

website "[www.indianrail.gov.in](http://www.indianrail.gov.in)".  
ved accommodation is available  
to follow all protocols related to  
standing etc.

754-A/J/20

NWR Railways

**PETRONET LNG LIMITED, VADVA**

Petronet LNG Limited (PLL) invites bids from experienced and financially sound contractors for following services at Petronet LNG Ltd., Dahej (Gujarat)

1. Painting of LNG Storage Tanks
2. Replacement of GI Roof Sheet
3. Maintenance Dredging Services

Interested parties are requested to visit our website [www.petronetltd.com](http://www.petronetltd.com) for detailed eligibility criteria along with other necessary details for issuance of Tender document.

Note: PLL reserves the right not to issue the tender document and / or accept or reject any or all the bids at any stage of the process and/or modify the process without assigning any reasons on its sole discretion. No separate notification shall be issued in press. Bidders are requested to visit the website regularly to keep themselves updated.

Deputy General Manager (C&P)

**PETRONET LNG LIMITED**

GIDC Industrial Estate, Plot No. 7/A, Dahej, Taluka Vagra,  
Distt. Bharuch 392130, Dahej, Gujarat, Tel No: 02641-670232/233/235/231  
E-mail id: [materials@petronetltd.com](mailto:materials@petronetltd.com)

that none of its officials entered the premises by threatening or roughing up the security guard or anyone else.

The "Queen" actor's recent remark comparing Mumbai to Pakistan-occupied-Kashmir (PoK) has drawn the ire of the Shiv Sena which controls the BMC besides leading the ruling coalition in Maharashtra.

The action by the BMC followed Ranaut's public tiff with the party. PTI



**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)**

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340,  
2324047, 2324025 Email : (Env.)m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofolkoo@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/19/2015/एक.सी./225

दिनांक : 04.08.2016

संका सं,  
प्रमुख सचिव ( वन ),  
मिनिस्टर कार्यालय,  
राजस्थान शासन जयपुर ।

**ऑनलाईन आवेदन संख्या - FP/RJ/Road/7000/2014**

विषय :- जयपुर जंक्शन में आर.आर.एच.एच.पी. योजना के तहत गोरधनपुर में कालीघाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि को प्रत्यावर्तन एवं 55 कुर्सी के घातन की अनुमति हेतु ।  
सन्दर्भ :- अति. प्रधान प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एक/14 (Baran Road)/2014/ एक.सी.ए./प्रमुख/1971, दिनांक 06.07.2016

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय प्रयोग करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रमाण पर वन ( संरक्षण ) अधिनियम, 1980 की धारा ( 2 ) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सुचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है ।  
प्रकार पर इस कार्यलय को समर्पणक पर दिनांक 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना जारी गयी थी जिसकी अनुपालन आशय अति. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत की गयी अनुपालन पर विचारोपान मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त है कि को-ज सरकार जयपुर जंक्शन में आर.आर.एच.एच.पी. योजना के तहत गोरधनपुर में कालीघाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि को प्रत्यावर्तन एवं 55 कुर्सी के घातन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिनिस्टर कार्यालय पर प्रदान काली है :-  
1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं होगा ।  
2. प्रयोक्ता अधिकारी द्वारा वन विभाग को पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र को समतुल्य गैर वनभूमि अधिनियम 2.98 हे. पर क्षतिपूर्तक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु आशयक धनराशि ( प्रचलित दरों को समाहित करने हेतु ) तथा संशोधित ) रूप में 3,84,867/- ( 2.98 हे. x रुपये 1,29,216 प्रति हे. ) में जमा की जायेगी ।  
3. उक्त वन भूमि विभाग को स्थानिक को बाहर की है । इसे वन विभाग को पक्ष में उपलब्ध एवं वायव्य विभाग द्वारा प्रयोग तथा इस भूमि को फ. माह में आशय/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा । भूमि का हस्तांतरण एवं वायव्य विभाग के पक्ष में इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।  
4. क्षतिपूर्तक वृक्षारोपण हेतु कुल सम्पत्ति क्षेत्र ( 103.4 हे. ) लिया गया है, उनका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपरोक्ष किया जायेगा ।

1. प्रयोक्ता अधिकारी द्वारा वन विभाग को प्रेषित पत्रांक 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना जारी गयी थी जिसकी अनुपालन आशय अति. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत की गयी अनुपालन पर विचारोपान मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त है कि को-ज सरकार जयपुर जंक्शन में आर.आर.एच.एच.पी. योजना के तहत गोरधनपुर में कालीघाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि को प्रत्यावर्तन एवं 55 कुर्सी के घातन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिनिस्टर कार्यालय पर प्रदान काली है :-
2. प्रयोक्ता अधिकारी द्वारा वन विभाग को पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र को समतुल्य गैर वनभूमि अधिनियम 2.98 हे. पर क्षतिपूर्तक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु आशयक धनराशि ( प्रचलित दरों को समाहित करने हेतु ) तथा संशोधित ) रूप में 3,84,867/- ( 2.98 हे. x रुपये 1,29,216 प्रति हे. ) में जमा की जायेगी ।
3. उक्त वन भूमि विभाग को स्थानिक को बाहर की है । इसे वन विभाग को पक्ष में उपलब्ध एवं वायव्य विभाग द्वारा प्रयोग तथा इस भूमि को फ. माह में आशय/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा । भूमि का हस्तांतरण एवं वायव्य विभाग के पक्ष में इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।
4. क्षतिपूर्तक वृक्षारोपण हेतु कुल सम्पत्ति क्षेत्र ( 103.4 हे. ) लिया गया है, उनका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपरोक्ष किया जायेगा ।
5. प्रयोक्ता अधिकारी द्वारा वन विभाग को प्रेषित पत्रांक 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना जारी गयी थी जिसकी अनुपालन आशय अति. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत की गयी अनुपालन पर विचारोपान मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त है कि को-ज सरकार जयपुर जंक्शन में आर.आर.एच.एच.पी. योजना के तहत गोरधनपुर में कालीघाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि को प्रत्यावर्तन एवं 55 कुर्सी के घातन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिनिस्टर कार्यालय पर प्रदान काली है :-
6. प्रयोक्ता अधिकारी द्वारा वन विभाग को पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र को समतुल्य गैर वनभूमि अधिनियम 2.98 हे. पर क्षतिपूर्तक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु आशयक धनराशि ( प्रचलित दरों को समाहित करने हेतु ) तथा संशोधित ) रूप में 3,84,867/- ( 2.98 हे. x रुपये 1,29,216 प्रति हे. ) में जमा की जायेगी ।
7. उक्त वन भूमि विभाग को स्थानिक को बाहर की है । इसे वन विभाग को पक्ष में उपलब्ध एवं वायव्य विभाग द्वारा प्रयोग तथा इस भूमि को फ. माह में आशय/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा । भूमि का हस्तांतरण एवं वायव्य विभाग के पक्ष में इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।
8. क्षतिपूर्तक वृक्षारोपण हेतु कुल सम्पत्ति क्षेत्र ( 103.4 हे. ) लिया गया है, उनका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपरोक्ष किया जायेगा ।
9. प्रयोक्ता अधिकारी द्वारा वन विभाग को प्रेषित पत्रांक 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना जारी गयी थी जिसकी अनुपालन आशय अति. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत की गयी अनुपालन पर विचारोपान मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त है कि को-ज सरकार जयपुर जंक्शन में आर.आर.एच.एच.पी. योजना के तहत गोरधनपुर में कालीघाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि को प्रत्यावर्तन एवं 55 कुर्सी के घातन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिनिस्टर कार्यालय पर प्रदान काली है :-
10. प्रयोक्ता अधिकारी द्वारा वन विभाग को पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र को समतुल्य गैर वनभूमि अधिनियम 2.98 हे. पर क्षतिपूर्तक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु आशयक धनराशि ( प्रचलित दरों को समाहित करने हेतु ) तथा संशोधित ) रूप में 3,84,867/- ( 2.98 हे. x रुपये 1,29,216 प्रति हे. ) में जमा की जायेगी ।

*(अशोक सहाय)*  
अतिरिक्त अधिकारी  
नि.वि. खण्ड ग्वाहाबाद

भवदीय  
( अमित मिश्र )  
उप वन संरक्षक ( केन्द्रीय )

परिवर्तन  
मध्य)  
d Climate  
Region)



1, लखनऊ-226024

Aliganj, Lucknow-

243 2324025

imoeofrolko@gmail.com

दिनांक :- 23.08.2016

/6954/2014

त जलवाड़ा से किशनपुरा तक  
क पातन की अनुमति हेतु।

री, जयपुर का पत्रांक-एफ 14  
क 06 07.2016

का आशय ग्रहण करने का  
क्षण) अधिनियम, 1980 की  
गी है एवं अतिरिक्त सूचना  
ई गई है।

का निर्देश हुआ है कि केन्द्र  
तहत जलवाड़ा से किशनपुरा  
न बिना वृक्षों के पातन की

गा।  
घत वन क्षेत्र के समतुल्य गैर  
10 वर्षों तक रखरखाव हेतु  
हुए यथासंशोधित) रुपये-

दिल्ली में जाम की जाएगी।  
विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण  
आरक्षित/संरक्षित वन भूमि  
करने के पश्चात इस कार्यालय



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate  
Change Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-  
226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324347, 2324025

Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं. 8वी/राज./06/19/2015/एफ.सी./225

दिनांक :- 04.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)

सिविल सचिवालय राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Road/7000/2014

विषय :- जनपद बारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक-एफ 14 (Baran Road)/2014/एफ.सी.ए./प्रमुखसं/1971, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक -09 फरवरी 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक :- 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गई है जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई अनुपालना पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये- 3,84,867/- (2.98 हे. x Rs.1,29,150 हे.) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल

हुए (व्यासशावित) रूपव-  
देल्ली में जाम की जाएगी।  
विभाग के पदा में हस्तान्तरण  
में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि  
रने के पश्चात इस कार्यालय

लिया गया है, उसका डिजिटल

य के रिट पिटीशन (सिविल)  
र के पक्ष संख्या 5-3/2007-  
शानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य  
.xRs. 6.26 Lakh per

धनराशि की ऑनलाईन  
गू हो) की छायाप्रति सहित  
की गई धनराशि का मदवार  
न्य हे जमा धनराशि का  
त स्वीकृति पर विचार किया

सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन  
न 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी.  
क डी.जी.पी.एस. निर्देशांक,  
निकटवर्ती पीलरों से दूरी

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा

ता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि  
हरित अधिकरण (NGT)  
015 बाबूलाल जाजू बनाम  
आदेश की अनुपालना में  
की निगरानी में सड़क के  
रोपण किया जाएगा।

भविष्य में योजना पर लागू

ष्ट परिपालन आख्या इस  
1227 दिनांक - 02 फरवरी,  
म, 1980 के तहत विधिवत  
तान्तरण की कार्यवाही राज्य  
स्तान्तरण के विधिवत आदेश

भवदीय

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

3,84,887/- (2.98 ha.xRs.1,29,150 ha.) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पदा में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. दतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये-18.654 लाख (2.98 ha.xRs. 6.26 Lakh per ha.) में जमा की जाएगी।

इसके उपरांत पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. /एन.एफ.टी (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. दतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। वह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मंक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक -16.11.2015 में दिए गए आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता में अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक - 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

